सं0–2260 / I I–2008–07(14) / 2007

प्रेषक,

विनोद फोनिया
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई विभाग, देहरादून, दिनांक 01–8– / 2008

विषयः– हर की पैड़ी हरिद्वार के समक्ष बहती जल धारा में श्री माँ गंगा जी के विशाल विग्रह की स्थापना हेतु अनुमति / स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता परिकल्प एवं निदेशक, सिंचाई अनुसंधान संस्थान रुड़की के पत्र सं0 2607 / मु0अ0परि0 / कैम्प–53 / विग्रह / दिनांक 28–5–2008 एवं मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र सं0 सी–4042 / मु0अ0वि0 / ने0अनु0 / दिनांक 6–2–02 तथा पत्र सं0 1566 / मु0अ0वि0 / ने0 अनु0 / के–1 / दिनांक 18–6–2008 के द्वारा दी गयी सहमति को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार जनपद हरिद्वार में हर की पैड़ी के समीप मालवीय द्वीप एवं वी.आई.पी.घाट के मध्य गंगा की बहती पवित्र धारा में श्री माँ गंगा जी की मूर्ति स्थापित किये जाने के लिए उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0 3092 (1) / 2003–27–सिं0–3–3(114) / 2001 / दिनांक 17–4–2003 के द्वारा दी गयी अनुमति / प्रदत्त शर्तो को यथावत् लागू रखते हुए एवं निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

शर्तेः–

1– श्री माँ गंगा जी के विग्रह की स्थापना अनुसंधान संस्थान रुड़की द्वारा स्वीकृत स्ट्रक्चरल डिजाईन के अनुसार नियत स्थान पर की जायेगी।

2– मुख्य अभियन्ता परिकल्प एवं निदेशक, सिंचाई अनुसंधान संस्थान रुड़की के पत्र सं0–2601 / मु0अ0परि0 / कैम्प–53 / विग्रह प0 / दिनांक 28–5–08 जिसकी प्रति आपको भी पृष्ठांकित है, में दिये गये सुझाव के अनुसार श्री माँ गंगा जी के विग्रह की स्थापना की जायेगी।

3– मूर्ति स्थापना सम्बन्धित निर्माण कार्य नहर बन्दी के समय पूर्ण किये जायेंगे।

4– श्री माँ गंगा जी के विग्रह की स्थापना के उपरान्त पूजा–अर्जना एवं रखरखाव का अधिकार गंगा सभा हरिद्वार का होगा। श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मन्दिर ट्रस्ट छतरपुर नई दिल्ली का स्थापना उपरान्त कोई अधिकार नहीं होगा।

5– विग्रह की स्थापना का सम्पूर्ण कार्य (मूर्ति की स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा आदि) पूर्ण होने तक का व्यय श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मन्दिर ट्रस्ट, छतरपुर नई दिल्ली द्वारा वहन किया जायेगा।

6– मॉ गंगा जी के विग्रह की स्थापना सम्बन्धित समस्त कार्य सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश, सिंचाई विभाग की देखरेख में किये जायेगें।

7– संस्था द्वारा निर्मित स्ट्रक्चर के परिकल्पन एवं भविष्य में अनुरक्षण एवं मरम्मत तथा इससे प्रभावित अल्प स्ट्रक्चर्स की सुरक्षा का दायित्व सिंचाई विभाग का नहीं होगा। मूर्ति की देखभाल एवं रखरखाव का पूर्ण उत्तरदायित्व गंगा सभा हरिद्वार का रहेगा।

8– भविष्य में गंगा नदी में किसी प्रकार के विग्रह की स्थापना हेतु साधु–संतों एवं अन्य समिति/संस्थाओं को हरिद्वार में घाट बनाने, मूर्ति स्थापित किये जाने हेतु किसी प्रकार की अनुमति नही दी जायेगी।

9– गंगा नदी के मध्य मॉ गंगा जी के विग्रह की स्थापना/निर्माण किये जाने के समय किसी प्रकार की दुर्घटना घटित होने की दशा में क्षति का उचित मुआवजा दिये जाने का उत्तरदायित्व श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मन्दिर ट्रस्ट छतरपुर नई दिल्ली का होगा।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

सं0– 2260/I–2008–07(14)/07 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2– प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
3– सचिव, धर्मस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6– जिलाधिकारी, हरिद्वार, उत्तराखण्ड।
7– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

क्रमशः.....3

8– मुख्य अभियन्ता (गंगाधाटी) परियोजनाएँ देहरादून।
9– मुख्य अभियन्ता परिकल्प एवं निदेशक, सिंचाई अनुसंधान संस्थान रुड़की।
10– अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड हरिद्वार।
11– अधिशासी अभियन्ता, ऊत्तरी खण्ड गंगा नहर, रुड़की, उत्तर प्रदेश।
12– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर उत्तराखण्ड देहरादून।
13– श्री विनोद गॉधी, सदस्य जनरल बॉडी, श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मन्दिर ट्रस्ट, छत्तरपुर, नई दिल्ली।
14– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अजय सिंह नबियाल)
अपर सचिव।